

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
NETAJI SUBHASH SPORTS COMPLEX
JASOLA, NEW DELHI – 110025**

F2(46)/NSSC/DDA/Civil work/21-22/1973

Dated: 11/10/2023

ONLINE NOTICE INVITING QUOTATION NO.7/NSSC/DDA/2023-24

Online item rate quotations are invited on behalf of Delhi Development Authority (Sports Wing). The quotation shall be submitted on or before 20 Oct 2023 upto 3.00 P. M. and same shall be opened on 21 Oct 2023 at 3.30 P. M.

Only Government Approved Valuer Agencies /Firms/Persons having undertaken three similar works during the last seven years in Govt. Deptt./Public Sector Undertakings are entitled to apply. A proof in this regard is necessary to be enclosed with quotation otherwise the same shall be rejected.

Estimated Cost: Rs. 70,800/-

Name of Work: Maintenance of Netaji Subhash Sports Complex, DDA.

SH: Valuation of unserviceable items of civil, electrical and horticulture at NSSC.

Sl. No.	Description	Qty.	Unit	Rate (both in fig. & words)	Amount
1	Evaluation of minimum reserve price of unserviceable Civil, Electrical & Horticulture items and scrap materials present at Netaji Subhash Sports Complex by Govt. /DDA approved evaluator. The value of goods to be put up after site visit and proper inspection of all items and all work complete as per the directions of Secretary/NSSC.	1 Job	Job		

List of the following documents are required with quotation:-

1. Scanned copy of PAN Card
2. Scanned copy of GST registration.

TERMS & CONDITIONS:-

1. The work shall be carried out as per CPWD specifications amended upto date & to the entire satisfaction of Secretary/NSSC, AE(Elect.)/NSSC, RE/NSSC and AD(Hort.)/NSSC .
2. Quoted rate should be inclusive of all taxes / levies including GST, payable under respective states, DDA will not entertain any claim, whatsoever in this regard.
3. The payment will be made after entire satisfaction of Secretary/NSSC, DDA.
4. No T & P will be issued by Department.
5. The Agency should be registered with the GST Department & supposed to furnish a copy of GST Registration along with the quotation otherwise the quotation may not be considered and liable to be rejected.
6. No advance payment will be made to the agency.
7. Commissioner (Sports) reserves the right to accept or reject any bid / quotation without assigning any reason.
8. Commissioner (Sports) reserves the right to debar the concerned agency if the work is not completed in stipulated time.
9. Conditional quotation will not be accepted.
10. Necessary statutory deductions as applicable will be made.
11. No minor shall be engaged at site.
12. Nothing extra will be paid to the agency by the department.
13. Debarred agency / or individual shall not be permitted to participate in the tendering process. Agency

- should be reputed and does not have any tarnished reputation.
14. The experience of agencies should be taken into account rather than individuals incorporated with the agency, which does not include proprietorship.
 15. Time allowed is 15 (Fifteen) days for the completion of work failing which the recovery shall be made from the concerned agency if EOT is not granted.
 16. Quotationers should inspect the site of execution of work before tendering to have knowledge of site conditions. Agency has to make his own arrangement to clear the site and then rearrange the same as desired by the secretary/NSSC and Engineer-in-charge.
 17. The quantities of items in schedule are tentative which may change depending upon site conditions.
 18. Any injury/ accident takes place during work, DDA shall not be responsible; any claim shall be rejected at first stage only the agency shall be responsible.
 19. If there are two or more agencies quoting the same rate preference would be given to the agency which is already serving subject to its satisfactory performance. If even then there is a tie between two or more such agencies then the work would be awarded to the agency which has the highest gross annual turnover for the last three consecutive financial years.
 20. The contractor will be fully responsible during execution of work. If any loss/ theft/ damage caused at site/ surrounding, the same shall be made good with in quoted rates or recovered from the agency/ shall be made good at agency's risk and cost.
 21. Based on real time feedback of members and administrative staff of DDA as and when a deficiency of service is noticed the same will be intimated to the agency/ contractor for rectification. In case there is no improvement/ rectification within prescribed period from the time of intimation proportionate deduction, as approved by the Competent Authority, shall be made from the agency/ contractor.
 22. The validity of the quotation (E-NIQ) is 60 days from the date of opening of the quotation.

RE/NSSC

F2(46)/NSSC/DDA/Civil work/21-22/1973

Dated:11/10/ 2023

Copy to:-

1. Commissioner (Sports), DDA.
2. Director (System)/DDA through E-Mail. ddatender@dda.org.in.
3. All Secretaries of the DDA Sports Complexes.
4. DDA Contractor association E-18 Vikas kuteer, New Delhi.
5. DDA Contractor Welfare Association, Room no.12, Barrack no.1, Block-A, Vikas Kuteer, New Delhi.
6. Delhi Contractor Welfare Association (C), 306, Masjid Moth, NDSE, Part-II, New Delhi.
7. AAO/NSSC.

RE/NSSC

दिल्ली विकास प्राधिकरण
नेताजी सुभाष खेल परिसर
जसोला, नई दिल्ली – 110025

एफ2(46)/एनएसएससी/डीडीए/सिविल कार्य/21-22/1973

दिनांक:11/10/2023

कोटेशन संख्या 7/एनएसएससी/डीडीए/2023-24 आमंत्रित करने के लिए ऑनलाइन सूचना

दिल्ली विकास प्राधिकरण (स्पोर्ट्स विंग) की ओर से ऑनलाइन आइटम रेट कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। कोटेशन 20 अक्टूबर 2023 को अपराह्न 3.00 बजे तक या उससे पहले जमा किया जाएगा और इसे 21 अक्टूबर 2023 को अपराह्न 3.30 बजे खोला जाएगा।

केवल सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता एजेंसियां/फर्म/व्यक्ति जिन्होंने सरकार में पिछले सात वर्षों के दौरान तीन समान कार्य किए हैं। विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आवेदन करने के हकदार हैं। इस संबंध में एक प्रमाण उद्धरण के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है अन्यथा इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
अनुमानित लागत: रु. 70,800/-

कार्य का नाम: नेताजी सुभाष स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, डीडीए का रखरखाव।

एसएच: एनएसएससी में सिविल, इलेक्ट्रिकल और बागवानी की अनुपयोगी वस्तुओं का मूल्यांकन।

क्र. सं.	विवरण	मात्रा	इकाई	दर (अजार आर शब्द दोनों में)	मात्रा
1	सरकार द्वारा नेताजी सुभाष स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद अनुपयोगी सिविल, इलेक्ट्रिकल और बागवानी वस्तुओं और स्क्रेप सामग्री के न्यूनतम आरक्षित मूल्य का मूल्यांकन। /डीडीए अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता। सचिव/एनएसएससी के निर्देशों के अनुसार साइट विजिट और सभी वस्तुओं के उचित निरीक्षण और सभी कार्यों के पूरा होने के बाद रखे जाने वाले सामान का मूल्य।	1 काम	काम		

निम्नलिखित दस्तावेजों की सूची उद्धरण सहित आवश्यक है:-

1. पैन कार्ड की स्कैन की हुई कॉपी
2. जीएसटी पंजीकरण की स्कैन की गई प्रति।

नियम एवं शर्तें:-

1. कार्य आज तक संशोधित सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देशों के अनुसार और सचिव/एनएसएससी, ईई (इलेक्ट.)/एनएसएससी, आरई/एनएसएससी और एडी (बागवानी)/एनएसएससी की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार किया जाएगा।
2. उद्धृत दर में संबंधित राज्यों के तहत देय जीएसटी सहित सभी कर/लेवी शामिल होनी चाहिए, डीडीए इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा।
3. भुगतान सचिव/एनएसएससी, डीडीए की पूर्ण संतुष्टि के बाद किया जाएगा।
4. विभाग द्वारा कोई टीएंडपी जारी नहीं किया जाएगा।
5. एजेंसी को जीएसटी विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए और कोटेशन के साथ जीएसटी पंजीकरण की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

6. एजेंसी को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
7. आयुक्त (खेल) बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली/कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
8. निर्धारित समय में कार्य पूरा न होने पर संबंधित एजेंसी को डिबार करने का अधिकार आयुक्त (खेल) के पास सुरक्षित है।
9. सशर्त कोटेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
10. यथा लागू आवश्यक वैधानिक कटौतियाँ की जाएंगी।
11. साइट पर किसी भी नाबालिग को काम पर नहीं लगाया जाएगा।
12. विभाग द्वारा एजेंसी को कुछ भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
13. वर्जित एजेंसी/या व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एजेंसी प्रतिष्ठित होनी चाहिए और उसकी कोई धूमिल प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए।
14. एजेंसी में शामिल व्यक्तियों के बजाय एजेंसियों के अनुभव को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसमें स्वामित्व शामिल नहीं है।
15. कार्य पूरा करने के लिए 15 (पंद्रह) दिन का समय दिया गया है, अन्यथा ईओटी नहीं दिए जाने पर संबंधित एजेंसी से वसूली की जाएगी।
16. साइट की स्थितियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए कोटेशनकर्ताओं को निविदा देने से पहले कार्य निष्पादन स्थल का निरीक्षण करना चाहिए। एजेंसी को साइट को साफ़ करने और फिर सचिव/एनएसएससी और प्रभारी अभियंता की इच्छानुसार उसे पुनर्व्यवस्थित करने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
17. अनुसूची में मर्दों की मात्रा अस्थायी है जो साइट की स्थितियों के आधार पर बदल सकती है।
18. कार्य के दौरान कोई चोट/दुर्घटना होती है तो डीडीए जिम्मेदार नहीं होगा; किसी भी दावे को पहले चरण में खारिज कर दिया जाएगा केवल एजेंसी जिम्मेदार होगी।
19. यदि दो या दो से अधिक एजेंसियां समान दर उद्धृत कर रही हैं तो उस एजेंसी को प्राथमिकता दी जाएगी जो पहले से ही सेवा दे रही है, बशर्ते उसका प्रदर्शन संतोषजनक हो। यदि फिर भी दो या दो से अधिक ऐसी एजेंसियों के बीच कोई टाई है तो काम उस एजेंसी को दिया जाएगा जिसका पिछले तीन लगातार वित्तीय वर्षों में सबसे अधिक सकल वार्षिक कारोबार हो।
20. कार्य सम्पादन के दौरान ठेकेदार पूर्णतः उत्तरदायी होगा। यदि साइट/आस-पास कोई हानि/चोरी/क्षति होती है, तो उसे उद्धृत दरों के साथ पूरा किया जाएगा या एजेंसी से वसूल किया जाएगा/एजेंसी के जोखिम और लागत पर पूरा किया जाएगा।
21. डीडीए के सदस्यों और प्रशासनिक कर्मचारियों की वास्तविक समय की प्रतिक्रिया के आधार पर, जब भी सेवा में कमी देखी जाएगी तो उसे सुधार के लिए एजेंसी/ठेकेदार को सूचित किया जाएगा। यदि सूचना के समय से निर्धारित अवधि के भीतर कोई सुधार/सुधार नहीं होता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आनुपातिक कटौती, एजेंसी/ठेकेदार से की जाएगी।
22. कोटेशन (ई-एनआईक्यू) की वैधता कोटेशन खुलने की तारीख से 60 दिन है।

आरई/एनएसएससी

एफ2(46)/एनएसएससी/डीडीए/सिविल कार्य/21-22/1973

दिनांक: 11/10/2023

में कॉपी:

1. आयुक्त (खेल), डीडीए।
2. निदेशक (सिस्टम)/डीडीए ई-मेल के माध्यम से। ddatender@dda.org.in.

3. डीडीए खेल परिसरों के सभी सचिव।
4. डीडीए कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ई-18 विकास कुटीर, नई दिल्ली।
5. डीडीए कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन, कमरा नंबर 12, बैरक नंबर 1, ब्लॉक-ए, विकास कुटीर, नई दिल्ली।
6. दिल्ली कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन (सी), 306, मस्जिद मोठ, एनडीएसई, भाग- II, नई दिल्ली।
7. एएओ/एनएसएससी।